

बिहार सरकार
समाज कल्याण विभाग

--: अधिसूचना ::-

संचिका सं०-स०क०निग०-242/2024(खण्ड)-.....1056/उप निदेशक, दिव्यांगजन सशक्तिकरण निदेशालय, बिहार, पटना के पत्रांक-1495 दिनांक-05.12.2024 द्वारा प्राप्त आरोप पत्र में श्री प्रभाकर कुमार पटेल, सहायक निदेशक, जिला दिव्यांगजन सशक्तिकरण कोषांग, पटना के विरुद्ध आश्रय गृह, पूर्वी पटेल नगर, पटना में दिनांक-7 से 11 नवम्बर 2024 में घटित घटना जिसमें 03 संवासिनों की मृत्यु हो गयी थी, में घोर लापरवाही, उदासीनता, कतव्यहीनता, अकर्मण्यता एवं उचित अनुश्रवण ना करने आदि को स्वेच्छाचारिता एवं अनुशासनहीनता का द्योतक पाते हुए श्री प्रभाकर कुमार पटेल, सहायक निदेशक, जिला दिव्यांगजन सशक्तिकरण कोषांग, पटना को विभागीय अधिसूचना संख्या-1586 दिनांक-05.03.2025 द्वारा बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के नियम-9(1) के तहत तत्काल प्रभाव से निलंबित किया गया था।


तत्क्रम में श्री पटेल द्वारा प्राप्त अनुरोध आवेदन के आलोक में समीक्षोपरान्त अनुशासनिक प्राधिकार द्वारा इन्हें निलंबन से मुक्त करने का निर्णय लिया गया।

अतः उक्त परिपेक्ष्य में श्री प्रभाकर कुमार पटेल, तत्कालीन सहायक निदेशक, जिला दिव्यांगजन सशक्तिकरण कोषांग, पटना सम्प्रति निलंबन अवधि का मुख्यालय- सहायक निदेशक, जिला दिव्यांगजन सशक्तिकरण कोषांग, बक्सर, बिहार को तत्काल प्रभाव से निलंबन मुक्त किया जाता है।

श्री प्रभाकर कुमार पटेल को आदेश दिया जाता है कि वे निलंबनमुक्ति के पश्चात विभागीय मुख्यालय में अपना योगदान देना सुनिश्चित करें।

निलंबन अवधि के लिए देय वेतन के बिन्दु पर विभागीय कार्यवाही के फलाफल के आधार पर निर्णय लिया जायेगा।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,




(योगेश कुमार सागर)
अपर सचिव

समाज कल्याण विभाग।

पटना-15 दिनांक :- 20.02.2026

ज्ञापांक :- सं०क०निग०-242/2024(खण्ड)- 1056

प्रतिलिपि :- ई-गजट, वित्त विभाग, बिहार, पटना को बिहार राज्य पत्र के अगले अंक में प्रकाशनार्थ प्रेषित।



अपर सचिव

समाज कल्याण विभाग।

पटना-15 दिनांक - 20.02.2026

ज्ञापांक :- सं०क०निग०-242/2024(खण्ड)- 1056

प्रतिलिपि :- महालेखाकार, बिहार, पटना/वित्त (वै०दा०नि०को०) विभाग, बिहार, पटना/प्रमण्डलीय आयुक्त, पटना/निदेशक, दिव्यांगजन सशक्तिकरण निदेशालय, बिहार, पटना/जिला पदाधिकारी, पटना/बक्सर/सहायक निदेशक, जिला दिव्यांगजन सशक्तिकरण कोषांग, बक्सर/पटना/ संबंधित कोषागार पदाधिकारी/माननीय मंत्री, समाज कल्याण विभाग, बिहार, पटना के आप्त सचिव/सचिव, समाज कल्याण विभाग, बिहार, पटना के प्रधान आप्त सचिव/विशेष कार्य पदाधिकारी (स्थापना), समाज कल्याण विभाग, बिहार, पटना/विभागीय आई०टी० मैनेजर (अपलोड हेतु)/ श्री प्रभाकर कुमार पटेल, तत्कालीन सहायक निदेशक, जिला दिव्यांगजन सशक्तिकरण कोषांग, पटना सम्प्रति निलंबन अवधि का मुख्यालय- सहायक निदेशक, जिला दिव्यांगजन सशक्तिकरण कोषांग, बक्सर, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।



अपर सचिव

समाज कल्याण विभाग।

ई-मेल /
निबंधित